

The Uttar Pradesh Basic Shiksha Adhiniyam, 1972 Act 34 of 1972

Keyword(s): Niyat Date, Basic Education, Parishad, Sthaniya Nikay, Municipality

Amendment appended: 18 of 2000

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.H.15/12:07 Cap. 4 135891

ালা পুলাহানথ (राजकी न प्रकाशन) उत्तर अदरा, रावनदः

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 अगस्त. 1972 ई० की बठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त. 1972 ई॰ को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त. 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के तेई पूर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

1-(!) यह जीर्धानयम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2---जब तक कि प्रसंग से अन्यया अपेक्षित न हो इस अधिनियम में---

संक्षिप्त नाम तथा त्रसार

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय ;

(स) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कर्लो में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "जेसिक स्कूल" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है;

(ज) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का ताल्पर्य कमझ: बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, ग्रौर जिला बसिक शिक्षा अधिकारियों के ७प में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28 जुलाई, 1972 ई० का सरकारो असाधारण गजट देखिये ।)

परिभाषायें

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अंतरिम जिला परियद्. नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से हैं।

3—(1)ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना हारा नियत कर, उत्तर प्रदेश वैसिक जिला परिषद के नाम से एक परिषद स्थापित की जायगी।

(2) परिषद् शास्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगो, तथा इस ब्रशिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी ख्रौर अपने नाम से बहु बाट प्रस्तुत कर सकेंगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेंगा।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्---

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधोन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किय जायेंगे ;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की बारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम-निदिष्ट किया जायगा;

(ध) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिस्पिंसिटीज ऐक्ट, 1936 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डो के प्रेसीडेन्टों में ते, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट विया जायगा:

(ड) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

(छ) दो झिझाबिद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ठ किये जायेंगे;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप-निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निदिष्ट किया जायगा, श्रौर जो सदस्य---सचिव होगा ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ड) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारो को जिसका पद राज्य सरकार के उप-सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारो को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा !

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति प्रहले ही समाप्त न. कर दी जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है ।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हें मानों कोई रिक्ति न हुई होना के किसी किसी करना करने के बारान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हें मानों

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोप होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायगी।

धरिषद् के कृत्य

5.23

4--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक झिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना, तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण झिक्षा-प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना, होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की, विशेषतया, निम्मलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:---

(क) वैसिक जिला और उस हेतु अध्यावक-प्रजिक्षण के लिए संशिक्षण-क्रम तथा पुरुवके बिहित करना:

(ख) जूनियर तुद्धं स्कूल तथा इंसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य वरीकाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य वादिगेत आदेघ हारा अभ्योधन वारे ओन एसी परीक्षाओं वे उत्तीर्ण परीक्षायियों को डिप्लामा आ धमाण-पत्र प्रदान करना:

्रपरिषद् पंघटन কা

States and States and a second

(ग) शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परी-कार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं को ऐसी झर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना;

(घ) बोसेक स्कूलों, नामल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्ववेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना;

(ड) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसो भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार प्रवं उसमें अनुसंधान देतु योजनाएं तैयार करना;

(च) फिली जंगन या स्थावर संगत्ति का अजंन करना, धारण करना था निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नामल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान एसी शर्तों पर, जिन्हें घह उचित संमझे, स्वीकार करना:

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आधिक सहायता और ऋग प्राप्त करना;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी झक्ति का प्रयोग या किसी क्रत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या पूर्विघाजनक अथवा आनुषंगिक हो ।

5--- (1) परिषद् और घारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदय बनाये।

(१) विशेषतया, और पूर्ववर्ती झक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऎसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित बदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कत्तंव्य;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य प्रतेः

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(इ.) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपघारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है।

6--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की झर्ते राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होंगी ।

(3) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के नियमों में, ऐसी चयन समिति संघटित की जाने की व्यवस्था होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबद्ध स्थानीय तिकाय का एक प्रतिनिधि और निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ठ किली राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का प्रिसिपल अन्य सदव्य होंगे और निदेशक के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर आनुशासनिक नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था होगी।

7-(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराझियां उसमें जमा की जायगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अंधीन रहते हुए, परिषड् को, इस प्राधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. इस अधितिषम डारा प्राधिक्वत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी घनराशि जिसे यह उचित समझे, व्यय करन की सकित होगी ।

परिषद् के अधि-कारी तथा अन्य-कर्मचारी

परिषद को निधि

परिषद्का कार्य-संचालन

3

ेखा तथा लेखा परीक्षा 8 –– (1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपन्न म विद् सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी (

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरका के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा एस प्राधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

कर्मचारियों का त्यानान्तरण 9---(:) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (बिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारिवर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये बायेंचे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी परिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं इार्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् डारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं धर्तों में यथाविधि परिवर्तन न कर दिया बाय :

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी एसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारो द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिए जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार संपादन करेगा।

(2) उपधारा (1) को कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महोने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को तदर्य लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी स्सी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उस की सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी बौर वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगाः---

> (क) स्थायी कर्मचारी को दशा में, उस क तीन माह की ग्रवधि या उसकी सेवा को शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए बेतन (जिस के अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि ।

> (ख) अस्थायो कर्मचारी को दशा में, उसके एक माह की अवधि या उस को सेवा को शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, बो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल ग्रथवा स्थानीय क्षेत्र से जिस में वह नियत दिनांक के तत्कल यूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी ग्रन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी बन्ध स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति क नहीं किया जायगा।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अवीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तवा सेवा के अन्य निर्वन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्वय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य--निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे निक्त दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् म स्थानात्तरित किय जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अक्का प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा । 10--(1) प्रत्येक जिले के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिस में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्---

(क) जिला बेसिक झिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के, यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगरपालिका बोडों, नोटिफाइड एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से, अर्थात् :---

(1) लड़कों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(2) लडकियों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(3) लड्कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के, प्रधानाध्यापकों में से, और

(4) लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की, प्रधानाध्यापिकाओं में से, नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(इ) तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(च) विद्वालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यगण ऐसे निर्बन्घनों और झर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) परिषद् समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और उससे किसी अन्य विषय पर भी परामर्श कर सकती है।

11---(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव झिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्----

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा,

(स) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होनी) सो विद्यालय ग्रवर उप निरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येध्ठतम, जो उसका सदस्य-सचिव होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति----

(क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुघार करने के लिए यथास्थिति, जिला परिषद अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को सुझाव देगी ; और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

12-(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य ब्यक्ति अथवा निकाय का हो) झौर बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय बर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक----

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय निकाय भी है) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(स) किसी स्थानीय निकाय को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का,

निर्देश दे सकता है।

(3) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा(2) के खंड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये मये स्पष्टीकरण या अभ्यादेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्---

> (क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल को दशा में जो स्थानीय निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने क लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

गांव शिक्षा समितियां

जिला बेसिक जिसा समितियां (ल) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, परिषद् को उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपघारा (3) के खंड (क) के अधीन सिफारिज्ञ धुप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।

(5) यदि किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सिफारिज्ञ प्राप्त होने पर परिषद का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारो को, पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित फरके, स्कूल का प्रबन्ध, जिस के अन्तर्गत स्कूल को भूमि, भवन, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां भो ह, अपने हाथ में लेने का निदेश दे सकती है, और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारो को, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो परिषद द्वारा आरोपित किये जाय, स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) यदि स्थानीय निकाय उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थान दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अम्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिषद् को उपधारा (7) के अर्घान कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन कोई सिफारिझ प्राप्त होने पर परिषद का यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक झिक्षा के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जान-बूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है अथवा बेसिक झिक्षा के प्रयोजनार्थं राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावतित किया है, तो परिषद् मामला राज्य सरकार को उपधारा (8) के अथोन कार्यवाही के लिए अभिदिष्ट कर सकती है।

(8) राज्य सरकार उपधारा (7) के अघीन सिकारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेशदे सकती है कि पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, परिषद् को अन्तरित हो जायगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन किसी अधिसूचना में, उसके प्रवर्तन की अवधि में, ऐसी विधि के जिससे स्थानीय निकाय संघटित हो, अनुकूलन के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकते हैं जो उपघारा (8) में अभिदिष्ट निदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुर्धांगक तथा पारिणामिक उपबन्ध भी हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

13--(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाय ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीत परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं झक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के संबंध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किये जाने के संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे ।

14--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निदिव्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनिय रों को बनाने की शक्ति के सिवाप, इस अञ्जिनियम के अघीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अच्यक्ष या ऐसी समिति अयवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अघीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

्रात्र प्र 15---राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तगंत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध स कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

्रप्रत्यायोजन**्को** धाक्ति

सद्भावना से किये गये **कार्यों** का संरक्षग 16---इस अधिनियम ढारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निणय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

17--(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्त-विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी द्वारा ऐसे आनुषंगिक द्वारा अथवा अीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

णावापुत्र र रत्यापा समाप्त होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पञ्चात् (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पञ्चात् उपघारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

जपनारा (४) र गुवारा से अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान (3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

18-(1) नियत दिनांक से, उपघारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपघाराओं में निदिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, घारा 43 में, उपघारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपघारा (3) में उपघारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपघारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसको प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "यथास्थिति, द्विक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चनाव समिति" रख दिये बायें।

(3) यू० पो० म्युनिसिपैलिटोज ऐक्ट, 1916 में---

(क) घारा 68 में, उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्---

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारो जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले स कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव को नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।";

(स) धारा 73 निकाल दी जाय;

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्---

" सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एव जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

19---(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, और विश्लेषतया, किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों क अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की झर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पञ्चात् यथाशक्यशीझ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन को अवधि पर्यन्त, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन को अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुकमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का जो एक सत्र में या एकाधिक आनुकमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का जो एक सत्र में या एकाधिक आनुकमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का जो एक सत्र में या एकाधिक आनुकमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एसे परिष्कारों या अभिशून्यनों दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले को गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

20-उत्तर प्रदेश वेसिक शिला ग्रध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन

नियम बनाने की

হাৰিন

न्यायालयों को अधिकारिता पर रोक

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

स्यानीय निकायों

का

से संबंधित अधि-

नियमों

संशोधन

पो०एस•यू०पी०--ए०पी०--170 जनरल (लेग०)--1973--1,825 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows i-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of soction 2 of U.P. Act no. 34 of 1972 2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as subsection (1) thereof and,

(a) in sub-section [(1) as so renumbered,-

(i) in clause (e) for the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be substituted;

(il) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely :--

"(f) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) after sub-section (1) as so renumbered, the following subsection shall be inserted, namely :--

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

Amendment of

section 4

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),-

(a) in clause (b) for the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be substituted;

(b) in clause (c) for the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Fradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959"

(c) in clause (d) for the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be substituted.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),-

1 3 1

(a) in clause (c) for the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be substituted;

(b) in clause (d) for the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be substituted; (c) in clause (e) for the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be substituted;

(d) in clause (f) the words "and in particular, to accept gift of any building or equipment of any basic school or normal school on such conditions as it thinks fit" shall be omitted;

(c) for clause (g-1) the following clause shall be substituted, namely:-

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(f) clause (g-2) shall be omitted.

5. In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be omitted,

(b) in sub-section (2),-

(i) in clause (a) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

(ii) in clause (d) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

6. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of new section 9-A

(a) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated;

(b) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(c) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Fanchayat, or the Municipality, as the case may be;

(d) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Amendment of

section 5

Substitution of sections 10,10-A and 11

•••

ð

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely i-

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Functions of Zila Panchayats

Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panohayats Adhi-

subject to superintendence and directions of the Board or the State Gevernment perform all or any of the following functions, namely

(a) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(b) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education :

(c) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

10-A Without prejudice to the powers and func-Functions of Municipalities under the Uttar and functions of Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Municipalities

Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Munisipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:-

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal areas

(b) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(c) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools:

(d) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(e) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basis school situate within the limits of the municipal area.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram

Gaon Shiksha Samiti and its function

Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist

U. P.

Ordin ao. 4 2000

U. P.

Ordin

BO. 1 1999

U. P.

Ordin 00.1

1999

গী0

of the following members, namely:-

(a) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman:

(b) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(c) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the seniormost of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary:

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samili shall perform the following functions, namely :-

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(b) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof:

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of besic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be omitted.

9. After section 12 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :--

 *13-A. Notwithstanding anything contained in the United Proover riding effect
vinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,
1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be substituted;

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) for the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be substituted.

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order, Y. R. TRIPATHI, Pramukh Sachiv.

Omission of section 12-A Insertion of new section 13-A

9

Amendment of section 14

Amendment of section 17

Repeal and savings

U, P. Ordinance no. 4 of 2000 U. P. Ordinance no. 13 of 1999 U. P. Ordinance no. 16 of 1999

णी0 इस 0 यू 9 पी0-ए0 पी0 46 सा0 वित्रा0-(454)-2000-850 (मेक 0) ।